न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई
जमानत आवेदन संख्या –54/2019
जमुई महिला थाना –47/16
अनील दास
जमानत आदेश

26–02–2019

1. काराधीन अभियुक्त अनील दास की तरफ से जमुई महिला थाना कांड संख्या– 47/16 ,अन्तर्गत धारा– 341,323,498ए ,494/34 भा0द0वि0 एवं 3/4 डी0पी0 एक्ट के तहत जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दी गई जो दिनांक– 17–01–2019,से कारा गें संसीमित हैं और यह वाद विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय गें लम्बित है

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अग्रिम अथवा नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना गें न तो दाखिल किया गया है न ही लंबित है।

3, संक्षेप गें अभियोजन का केश है कि इस वाद के सूचिका पिंकी देवी हैं जिनका कथन है कि सूचिका की शादी हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार 12 साल पहले अनिल दास से हुई थी, शादी के समय ही सूचिका के पिता औकात के मुताबिक साठ हजार रूपया एवं पचास हजार रूपये का सामान दिए थे ,सूचिका को ससुराल गें कुछ दिन ठीक से रखा एवं इसी बीच सूचिका को तीन बच्चा भी जन्म लिया । सूचिका के पति शराबी व्यक्ति है इसलिए पति एवं उसके अलावे *धर के सभी व्यक्ति बार बार मार पीट एवं प्रताड़ित करते रहते थे कहते थे कि पचास हजार रूपया एवं एक मोटरसाईकिल मांग कर लाओ नहीं तो तब इस धर गें रहने के लिए देंगें ।इस सम्बन्ध* गें 2012 गें सभी पर केस किए थे जो अभी भी लम्बित है, दिनांक–15–6–16 को सूचिका के पति अनील दास ने दुसरी शादी सूचिका के रहते हुए गोली देवी से कर लिया , और विरोध करने पर सभी परिवारगण के अलावे सौतन भी मार पीट करने लगे ।

4,, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है एवं उसे प्रस्तुत मामले गें गंदी ग्रामीण राजनीति के चलते झूठा फंसाया गया है। इसके पहले वाद संख्या–1269सी/12 गें माता पिता सभी को माननीय उच्च न्यायालय ,पटना के द्वारा पूर्व गें औपबन्धिक जमानत दिया जा चूका है, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन यह है कि सूचिका एक निर्दय औरत है और वह अपने बेरोजगार पति के साथ दामपत्य जीवन नहीं बिताना चाहती है, यह साफ प्रकट होता है कि सूचिका सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए दवाब बना रही है, इस वाद की सभी धारायें जमानतीय है सिर्फ 498ए एवं 3/4 डी0पी0एक्ट प्रयोज्य नहीं है, सूचिका दिनांक– 09–8–12 अपने ससूराल नहीं गई है, और वह अपने नैहर गें ही रह रही है,इसलिए यह प्रश्न हीनहीं उठता है कि सूचिका से पैसे की मांग की जाय और तंग तबाह किया जाता है, आवेदक अपनी पत्नी को पूर्ण सम्मान के साथ अपने साथ ले जाने को तैयार हैं, इसका पूर्व इतिहास साफ सूथरा है और आवेदक बिना किसी कारण के कारा में दिनांक–17–1–19 से कारा गें बन्द है । अतः आवेदक को जमानत प्रदान किया जाय ।

5,. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जगानत आवेदन का विरोध करते हुए कहते हैं कि केश डायरी में आवेदक के विरूद्ध प्रर्याप्त साक्ष्य है जो यह दर्शित करता हे कि आवेदक के द्वारा कथित अपराध कारित किया गया । अतः अपराध की प्रकृति को देखते हुए जगानत आवेदन खारिज किया जाय ।

6. उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नागित अभियुक्त है. आवेदक स्वंय पति हैं , अन्य सह- अभियुक्तों का अग्रिम जगानत विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,जगुई के अग्रिम जगानत आवेदन 898/16 के द्वारा पूर्व में जगानत आदेश पारित किया जा चुका है लेकिन सूचिका आज न्यायालय में सदेह उपस्थित है और कहती है कि मेरे पति दुसरी शादी कर लिए हैं इसलिए अब इनके साथ रहना सम्भव नहीं है. इन सभी बातों को देखते हुए आवेदक का जगानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः आवेदक का जगानत आवेदन खारिज किया जाता है।